न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 03 / 22 GCMS NO 2022 / 3
दायरा तिथि : 11.01.2022
आदेश तिथि :

प्रार्थी :–
शोभादेवी पत्नी मांगीलाल जाति भील
निवासी भील बस्ती बीजापुर तहसील बाली
ब ना म
अप्रार्थी :–
दरजाराम पुत्र चमना जाति भील
निवासी भील बस्ती बीजापुर तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक :

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा ग्राम बीजापुर पटवार हल्का, बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1444 रकबा 0.9200 हैक्टर किस्म नहरी सोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी दरजाराम पुत्र चमना जाति भील निवासी भील बस्ती बीजापुर की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का, बीजापुर के खसरा नंबर 1445 रकबा 0.2600 हैक्टर किस्म नहरी सोयम मेंसे नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बीजापुर ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/1630 दिनांक 03.06.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम बीजापुर पटवार हल्का, बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1444 रकबा 0.9200 हैक्टर किस्म नहरी सोयम की भूमि प्रार्थी शोभादेवी पत्नी मांगीलाल राणा जाति भील निवासी 80 भारती स्टीट, पाण्डीचेरी के नाम से दर्ज है। आवेदक द्वारा ख.नं. 1445 से रास्ता का आवेदन किया है। लेकिन इस आवेदित भूमि के पास भी रास्ता नहीं गै.मु.नाला है। अतः विकल्प के रूप में ख.न. 1452 खातेदारी व ख.नं. 1446 किस्म गै.मु. वाली में प्रस्तावित है। खातेदारी की धारित भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य विकल्प मौजूद नहीं है। वर्तमान में खातेदार आवागमन हेतु ख.न. 1429 गै.मु.नाला एवं अन्य खातेदारों की भूमि से पगदण्डी में से आवागमन करता है। अतः विकल्प के रूप में ख.नं. 1452 रकबा 0.38 हैक्टर किस्म न.सो. की भूमि दरजा पुत्र चमना जाति भील के नाम से ही खातेदारी भूमि दर्ज है जो कि गै.मु.रास्ता के ख. नं. 1957 पर स्थित है।

2 यह कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1452	0.38	न. सो.	108X4=432 वर्गमीटर	दरजा पुत्र चमना जाति भील निवासी पाण्डीचेरी
2	1446	0.31	गै.मु. वाली	32X4=128 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक (प्रतिबंधित भूमि)

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम लालराई की डी.एल.सी. दर 192150/–रूपये प्रति हैक्टर हैं।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में मौके पर कोई भी निर्मित संरचना नहीं हैं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति हैं। अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी।

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाने पर नोटिस तामील होने के बावजूद अप्रार्थी वकालतन/असालतन अनुपस्थित है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की गई।

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 03/22 GCMS NO 2022/3
अनवान शोभादेवी बनाम दरजाराम
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का, बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1444 रकबा 0.9200 हैक्टर किस्म नहरी सोयम की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/1630 दिनांक 03.06.2022से नया रेकर्डड रास्ता प्रस्तावित किया है। परंतु यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट में खसरा नंबर 1446 रकबा 0.31 हैक्टर किस्म गै.मु. वाली प्रतिबंधित भूमि होने से रास्ता दिया जाना उचित नहीं होना बताया। जिसका उपयोग वर्तमान में आवेदक अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंच के लिये उपयोग में ले रहा हैं। जिससे खसरा नंबर 1446 (गै.मु. वाली) सिवायचक होने से अलग से रास्ता की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का, बीजापुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1444 रकबा 0.9200 हैक्टर किस्म नहरी सोयम में आवागमन हेतु अप्रार्थी दरजा पुत्र चमना जाति भील निवासी पाण्डीचेरी की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर पटवार हल्का बीजापुर के खसरा नंबर **1452 मेंसे** 432 वर्गमीटर **रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार व अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

नाम ग्राम	ख.न.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर)	किस्म	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल	डीएलसी दर 192150/– रूपये प्रति हैक्टर की दर से (प्रति व.मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि(डीएलसी दर की दुगुनी)
बीजापुर	1452	0.38 हैक्टर	न.सो.	108 X 4 = 432 वर्गमीटर (0.0432 हैक्टर)	19.215 रूपये प्रति व.मी	**16601.76**

प्रस्तावित रास्ता में निजी खातेदार की प्रतिकर राशि **16601.76 पुर्णाकं 16602/– (अक्षरे सोलह हजार छः सौ दो रूपये मात्र)** आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी।

तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नंक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 28-06-22

क्रमॉक/कोर्ट/2022/2175–2199
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर
3. पटवारी हल्का, बीजापुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. शोभादेवी पत्नी मांगीलाल जाति भील निवासी भील बस्ती बीजापुर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner